Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 5–2025] CHANDIGARH, TUESDAY, FEBRUARY 4, 2025 (MAGHA 15, 1946 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

विरासत तथा पर्यटन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 16 जनवरी, 2025

संख्या 12/250–बोस्ती मस्जिद–2024/पुरा/263-69.— हरियाणा प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (1964 का पंजाब अधिनियम 20) की धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, विरासत तथा पर्यटन विभाग, अधिसूचना संख्या 12/250–बोस्ती मस्जिद–2024/पुरा/3516–22, दिनांक 16 अक्तूबर, 2024 के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के खाना 1 में विनिर्दिष्ट प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारकों को संरक्षित संस्मारक के रूप में तथा उक्त अनुसूची के खाना 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 में यथा विनिर्दिष्ट पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों को संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं:–

अनुसूची

प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक का नाम	पुरातत्वीय स्थलों तथा अवशेष का नाम	गांव/शहर का नाम	तहसील/जिला का नाम	संरक्षणाधीन राजस्व खसरा/किला संख्या	संरक्षित किया जाने वाला क्षेत्र कनाल–मरला	स्वामित्व	विशेष कथन
1	2	3	4	5	6	7	8
बोस्ती मस्जिद, भूना 18वीं शताब्दी पूर्व	बोस्ती मस्जिद, भूना 18वीं शताब्दी पूर्व	बोस्ती	फतेहाबाद	लाल डोरा (ग्राम पंचायत) (रजिस्ट्री संख्या 604080520)	93.911 मीटर	लाल डोरा (ग्राम पंचायत, बोस्ती)	यह मस्जिद एक आयताकार नक्शे पर बनाई गई है। इस मस्जिद की इमारत में एक बड़ा गोलाकार गुबंद है। जिसके दोनों ओर दो छोटे गुबंद है और शीर्ष पर और एक सुंदर अग्रभाग है जिसे प्लास्टर के काम और चित्रों से सजाया गया है। सामने के अग्रभाग के कोनों पर दो सुंदर संकीर्ण मीनारें है। इस मस्जिद के मेहराबदार दरवाजा अंदर की ओर ले जाते है, जहां बीच में अवस्थित खुली जगह बगलवाली जगह की तुलना में थोड़ा ऊंचा है। मेहराबों के बगल में आयताकार पैनलों में बने ताखो से मुख्य अग्रभाग सुशोभित है। मस्जिद का अभ्यंतर को विभिन्न ऊंचाइयों पर स्थित ताखों से सजाया गया है। इस इमारत का निर्माण चूना और सुर्खी से बने प्लास्टर में बिछी लाखौरी ईंटों से किया गया है। यहां फारसी में कुरान की आयतों को सुलेख शिलालेख में लिपिबद्ध किया गया है।

कला रामचंद्रन,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
विरासत तथा पर्यटन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

HERITAGE AND TOURISM DEPARTMENT

Notification

The 16th January, 2025

No. 12/250-Masjid at Bosti-2024/pura/263-69.— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Haryana Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1964 (Punjab Act 20 of 1964), and with reference to the Haryana Government, Heritage and Tourism Department, notification No. 12/250-Masjid at Bosti-2024/pura/3516-22, dated the 16th October , 2024 the Governor of Haryana hereby declares the ancient and historical monuments specified in column 1 of Schedule given below to be a protected monument and archaeological site and remains as specified in columns 2, 3, 4, 5, 6 and 7 of the said Schedule to be a protected area:-

SCHEDULE

Name of ancient and historical monuments	Name of archaeological sites and remains	Name of village/ city	Name of tehsil / district	Revenue Khasra/ Kila number under protection.	Area to be protected Kanal-Marla	Ownership	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
Masjid at Bosti, Bhuna, 18th Century CE	Masjid at Bosti, Bhuna, 18th Century CE	Bosti	Fatehabad	Lal Dora (Gram Panchayat) (Registry No. 604080520)	93.911 (meter)	Lal Dora (Gram Panchayat, Bosti)	This mosque is built on a rectangular plan. It has a large bulbous dome, flanked by two smaller domes topped with inverted lotus and a façade which has been decorated with Stucco work and paintings. There are two narrow minarets at the corners of frontal façade. The mosque's arched openings lead into the interiors, where the central opening is slightly higher than the adjoining. The main façade is adorned with niches in rectangular panels flanking the arches. Interior is decorated with niches located at various heights. The building has been built with lakhori bricks laid in lime surkhi plaster. There are callipgrahic inscriptions in Persian containing Quranic verses.

KALA RAMACHANDRAN,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Heritage and Tourism Department.

11620—C.S.—H.G.P., Pkl.